न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –15/ 2017 जिला दौसा।

1. हरीनारायण
2. रामकिशन
3. रामप्रसाद
4. सुरेश

पुत्रान हरसहाय, जाति ब्राह्मण, निवासी मोडापट्टी, तहसील व जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीताराम
2. प्रहला

पुत्रान घासी, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मोडापट्टी, तहसील व जिला दौसा ।

3. सोनू पत्नी रोशन लाल गुप्ता निवासी विवेकानन्द कॉलोनी दोसा, तहसील व जिला दौसा ।
4. ममता पत्नी सुनिल खण्डेलवाल निवासी पंचायत समिति रोड, दौसा ।
5. कन्हैया लाल
6. छोटे लाल
7. गोपी लाल
8. मंगलराम

पुत्रान मूलचन्द,

9. पूनी राम पुत्र गंगासहाय

जातियान हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मोडापट्टी, तहसील व जिला दौसा ।

10. सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 28.3.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.1.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 28.3.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि अपीलार्थी हरिनारायण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 525/2, 526, 726, 727/2 एवं 725 तन मौजा मोडा पट्टी तहसील दौसा स्थित है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 19.7.78 को मोतविरान के समक्ष कराया जा चुका था तो फिर भी अप्रार्थीगण बार बार प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 525/2, 526, 726, 727/2 एवं 725 के सीमाज्ञान को बिगाड देते हैं एवं आराजी की सीमाओं के संबंध में विवाद उत्पन्न करते हैं । अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेतों के सही सीमा चिन्हों को बिगाड कर प्रार्थीगण के

खेतों को अपने खेतों में मिलाकर नाजायज हक जातने लगे हैं । किसी पंच, न्यायालय आदि की परवाह नहीं करते हैं उल्टा झगडा फिसाद करते रहते है । प्रार्थीगण सीमा विवाद को निपटाना चाहते हैं एवं अपनी आराजी खसरा नम्बर 525/2, 526, 726, 727/2 एवं 725 के क्षेत्रफलानुसार मौके पर पत्थरगढी करवाकर आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करना चाहते हैं । प्रार्थीगण की आराजी अप्रार्थीगण की आराजी से लगती हुई है । बार बार सीमाज्ञान कराने पर अप्रार्थीगण सीमा विवाद उत्पन्न करने से बाज नहीं आ रहे हैं । ऐसी सूरत में बाद सुनवाई अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर पत्थरगढी करने के मुश्तहक हैं । अप्रार्थीगण झगडालू प्रकृति के लोग हैं । प्रार्थीगण के पिता हरसहाय की मृत्यु के बाद सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की भूमि हडपने पर आमादा है । अप्रार्थीगण किसी भी सूरत में सीमा विवाद उत्पन्न करते हुये बाज नहीं आ रहे हैं ।

अपीलार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2017 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि पत्थरगढी प्रकरण से संबंधित न्यायालय में हरिनारायण बनाम सीताराम वगैहरा के वाद जेरकार है एवं वाद उनवानी घासीलाल बनाम हरसहाय का निर्णय दिनांक 10.6.92 व दिनांक 20.11.95 को डिक्री हुआ । उक्त डिक्री की पालना में नक्शे में तरमीम की गई । उक्त भूमि की तरमीम कर तरमीमी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया था । गिरदावर रामप्रकाश ने दिनांक 28.7.98 को मौका परचा भी बनाया इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त भूमि की तरमीम हो चुकी थी यह अप्रार्थीगण ने अपने बयान में अंकन किया है ।

उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत भू अभिलेख अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपने अभिलेख को अपडेट करें एवं रकबे व जहॉ सीमा का विवाद हो उसे दूर करें तथा पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित करवाकर सीमाज्ञान कराया जावे । उनका कहना था कि भूमि से किसी भी व्यक्ति के कब्जे का या बेदखली का प्रश्न नहीं है बल्कि प्रकरण विवादित भूमि के सीमाज्ञान का है । अधीनस्थ न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह यह देखे कि डिक्री की पालना में नक्शे में तरमीम की या नहीं । यदि तरमीम नहीं की तो उसकी दुरूस्ती करने के अधिकार उनमें निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे । उनके द्वारा आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1084 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में माना है कि पत्थरगढी प्रकरण से संबंधित न्यायालय में हरिनारायण बनाम सीताराम वगैहरा के वाद जेरकार है एवं वाद उनवानी घासीलाल बनाम हरसहाय का निर्णय दिनांक 10.6.92 व दिनांक 20.11.95 को डिक्री हुआ । उक्त डिक्री की पालना में नक्शे में तरमीम की गई । उक्त भूमि की तरमीम कर तरमीमी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया था । गिरदावर रामप्रकाश ने दिनांक 28.7.98 को मौका परचा भी बनाया इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त भूमि की तरमीम हो चुकी थी,

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अप्रार्थीगण ने अपने बयान में अंकन किया है । उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की अपील खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण अपीलान्ट्स के पिता हरसहाय की खातेदारी भूमि ग्रम मोडापट्टी, तहसील दौसा , जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 525/2, 526, 726, 727/2 एवं 725 की पत्थरगढी कराने का है । अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आसदेश दिनांक 28.3.2017 द्वारा इस आधार पर खारिज किया है कि ''वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान बार बार कथन किया कि पत्थरगढी प्रकरण से संबंधित न्यायालय में हरिनारायण बनाम सीताराम वगैहरा में वाद जेरकार है एवं वाद उनवानी घासी लाल बनाम हरसहाय के निर्णय दिनांक 10.6.92 व दिनांक 20. 11.95 को डिक्री हुआ । उक्त डिक्री की पालना में नक्शे में तरमीम की गई है । उक्त भूमि की तरमीम कर तरमीमी भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया था । गिरदावर रामप्रकाश सैनी ने दिनांक 28.7.98 को मौका परचा भी बनाया । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त भूमि की तरमीम हो चुकी थी वह अप्रार्थीगण ने अपने बयान में अंकन किया है ''।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी हरिनारायण बनाम सीताराम एवं न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष उनवानी सीताराम बनाम हरिनारायण नामक दावा बाबत अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्दाज नक्शा व स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन होना बताये गये हैं , जिनमें ही पक्षकारों के हको का निर्धारण होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से वाद उनवानी घासी लाल बनाम हरसहाय के निर्णय दिनांक 10.6. 92 व डिक्री दिनांक 20.11.95 की पालना में नक्शे में तरमीम कराना एवं तरमीमी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने तथा गिरदावर रामप्रकाश सैनी द्वारा मौका परचा बनाये जाने से उक्त भूमि की तरमीम होना सिद्ध मानते हुये अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । हम समझते हैं विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के विवादों का निराकरण विचाराधीन दावों में ही होगा । अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 28.3.2017 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर